

तारीख हुकम

23/9/20

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी वकील अनुपस्थित। आज न्यायालय समय में प्रार्थी व प्रार्थी अधिवक्ता को अलग-अलग हाथ में रखकर कर तीन छार आवाज डिलवाई गई लेकिन कोई उपस्थित नहीं। इसका तात्पर्य प्रार्थी व प्रार्थी अधिवक्ता उक्त आवेदन में कोई कार्य वादी नहीं चाहते होंगे।

अतः राजस्व आवेदन अन्तर्गत आदेश 9 नियम 2 व आदेश 9 नियम 3 अडम हाजरी व अडम पैरवी में खारीज किया जाता है। पत्रावली फूलल शुमार लेकर टाकिल दफ्तर है।

सहायक कलेक्टर
SDO धोरीमना

सेवा में
प्रभावना सिंह

